

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 24 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 111

धर्मवीर चाहर, 2के, मिर्जेवाला(12 एफ), श्रीगंगानगर
बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 08.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्रांक/आरटीआई/2024/1241 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में चाही गयी सूचना दिनांक 05.07.2024 को सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर प्रार्थी धर्मवीर चाहर को प्रेषित कर दी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक/आरटीआई/2024/1241 दिनांक 05.07.2024 एवं सूचना ऑनलाईन प्रेषित किये जाने संबंधित पत्र दिनांक 05.07.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील खारिज योग्य हैं। परन्तु सूचना अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में प्रदान नहीं कर अपील प्रस्तुत होने के पश्चात प्रेषित की गयी है। ऐसी स्थिति में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़